केस नं. 46/2017 दिनेश बनाम अशोक वगै०

05-11-2019 5-11-2019	वकील उभयपक्ष उपस्थित । वकील उभयपक्ष को सुना गया । वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य अब कोई विवाद नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2017 की पालना में मौके पर दिनांक 01.09.2017 को प्रार्थी को कब्जा संभला दिया गया है, तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट दौनों सहमत हो गये है । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा भी वकील अपीलान्ट की कथन की पुष्टि की एवं मौके पर कब्जा संभला दिया जाने से अब कोई विवाद नहीं होना बताया । तथा वकील उभयपक्ष द्वारा प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारण हेतु निवेदन किया गया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पालना रिपोर्ट दिनांक 01.09.2019 का अवलोकन किया, जिस अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.4.2017 की पालना में मौके पर प्रार्थी को पटवारी हल्का द्वारा कब्जा संभलाया जाना प्रतीत होता है । अतः वकील अपीलांट की सहमति होने से तथा अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा संभला दिया जाने से वकील उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें । निर्णय की प्रति मय तलविदा रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जावें । पत्रावली बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो । (हस्ताक्षर) जिला कलेक्टर कोटा

Scanned by CamScanner